

10-11-17

आभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष
अनुपस्थित । उभय पक्ष अलग दायित्व
की दिनांक 01-12-17 को रखे ।

१
०१/१२/१७

01-12-17

आभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष
अनुपस्थित । दिनांक 08-12-17 को
रखे ।

१
०१/१२/१७

08-12-17

पीठाधीन पदाधिकारी अन्य कार्य में
व्यस्त । दिनांक 18-12-17 को रखे ।

18-12-17


आभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष
अनुपस्थित । उक्त वाद में 6 (छ) माह की

तिथि

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

अवधि- पूर्ण हो चुकी है अर्थात्
वाह कालबाधित हो गया है। अतः
वाह में अधिलेख की काटाई बन्द
की जाती है।


18/12/17
कार्यपालक दण्डाधिकारी
बुन्दू (सँची)


सचिव

हस्ताक्षर अधिवक्ता

पूरा नाम

अंगूठे / साक्ष